



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल
PBR निगरानी शाखा/शु.य/2017/3579

निगरानी प्रकरण क्रमांक :

01. कुमेर सिंह (मृत)
द्वारा - विधिक उत्तराधिकारी
अ) फूलकुंवर बाई, पत्नी, वयस्क
ब) गजराज सिंह, पुत्र, वयस्क
स) छगन कुंवर, पुत्री, वयस्क
द) तेज कुंवर, पुत्र, वयस्क
इ) सोनार सिंह, पुत्र, वयस्क
सभी निवासीगण - ग्राम कुरावर,
तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़

02. नारायण (मृत)
द्वारा - विधिक उत्तराधिकारी
अ) गोपाल सिंह, पुत्र, वयस्क
ब) जसवंत सिंह, पुत्र, वयस्क
दोनों निवासी - भोपाल

03. श्रीमती कैलाश कुंवर, वयस्क
पत्नी स्व. केसर सिंह,

04. अमर सिंह, वयस्क,
पुत्र स्व. केसर सिंह, वयस्क

05. मंगल सिंह, वयस्क,
पुत्र स्व. केसर सिंह
सभी निवासीगण - ग्राम कुरावर,
तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़

..... प्रार्थीगण

विरुद्ध

01. भंवर सिंह उर्फ रमेश, वयस्क
पुत्र सोभाग सिंह, निवासी - ग्राम कुरावर,
तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़
02. श्रीमती संतोष बाई, वयस्क
पुत्री स्व. केसर सिंह, पत्नी श्री ईश्वर सिंह,
निवासी - ग्राम गंवा, चांदबढ़

निरंतर
B. B. B. B. B.
ब्रज किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट
25, हरिनिवास " दुर्गा चौक"
सलैया, भोपाल

..... 2

03. श्रीमती कृष्ण कुंवर, वयस्क
पुत्री स्व. केसर सिंह, पत्नी विजय सिंह
निवासी - ग्राम पालबंदा,
तहसील व जिला उज्जैन

04. श्रीमती मीना कुंवर बाई, वयस्क
पुत्री स्व. केसर सिंह, पत्नी श्री बबलू सिंह,
निवासी - टीला जमालपुरा, भोपाल

प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०मू०रा०सं०, 1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 29.05.2017, जो प्रकरण क्र. 188/बी-121/2011-12 में
न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील
नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ द्वारा पारित किया गया।

शि
म.प्र.

27.9.2017

आवेदकगण की ओर से श्री
राज श्रीवास्तव आमिषाक्ष उपस्थित।
ग्राह्यता पर सुना गया। उनका
तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी
जात कि आवेदकगण को सुन

मूल के कारिसान को आमिषाक्ष पर
ले लिया गया है। जात अनुविभागीय
आधिकारी को निर्देश दिये जाते
है कि मूलक के कारिसान को
आमिषाक्ष पर लेने के सम्बन्ध में
आवेदकगण को सुनकर पुनः विचार
करें।

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
अध्यक्ष

~~28.9.17~~